हमारा बिहार

बिहार सरकार
पर्यटन निदेशालय
एक्सटेंशन भवन, बी. ब्लॉक, प्रथम तल, मुख्य सचिवालय, पटना–800015
फोनः–0612–2217045, Email-dir-tourism-bih@nic.in

TOURISM

आवंटन

पत्रांक :– TDRT/45016/20-2015...................... दिनांक ....

प्रेषक,

उदयन मिश्रा,भा.प्र.से.
निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में श्रावणी मेला, 2026 (दिनांक 30.07.2026 से 28.08.2026) तक के अवसर पर धांधी बेलारी, सुल्तानगंज में पर्यटक सेवा मंडप निर्माण एवं संचालन कार्य यथा काँवरियों के विश्राम स्थल पर वाटर–प्रूफ पंडाल का निर्माण, सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु मंच निर्माण, ग्रीन रूम, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, विद्युत–पंखा, जेनरेटर, कुर्सी, सोफा, पेयजल, शौचालय, सफाई, सुरक्षा, चिकित्सा शिविर, नियंत्रण कक्ष, प्रचार–प्रसार, सामग्री, कांवर स्टैंड एवं अन्य विविध कार्यों के संपादन हेतु कुल राशि 44,00,000/– (चौवालिस लाख रूपये) मात्र का आवंटन की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

1. इस राशि का विकलन मुख्यशीर्ष–3452 पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष 001, निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष 0001–निदेशालय, विपत्र कोड संख्या–46–3452800010001 के अंतर्गत प्राथमिक ईकाई संख्या–0001.20.02 कॉन्फ्रेंस कार्यशाला सेमिनार मद में उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 के उपबंधित आवंटन से किया जायेगा।
2. किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
3. जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–60(प्र0), दिनांक–05.06.2026 के माँग के आलोक में रू0 44,00,000/– (चौवालिस लाख रूपये) का आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में कर ली जाय।
4. आयोजन हेतु पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।
5. आयोजन से संबंधित हाई रिज्योलूशन फोटोग्राफ, कार्यक्रम की वीडियोग्राफी हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी में अविलंब उपलब्ध कराया जाय, ताकि विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराया जा सके।

ह०/–
निदेशक, पर्यटन

ज्ञापांक :– TDRT/45016/20-2015 17 दिनांक 14/07/2026

प्रतिलिपि :– 1. जिला पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा–शाखा, पर्यटन निदेशालय, निदेश दिया जाता है कि CFMS प्रणाली के माध्यम से आवंटन उपलब्ध कराया जाय/आई.टी.मैनेजर, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/7/26

निदेशक, पर्यटन

DM AWANTAN 26-27 / 15